राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत 11 एल.एल.पी.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 153/2016

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. श्री रामकिशन पुत्र कर्मचन्द साकिन हनुमानगढ़

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित ::–

1. श्री रामकिशन पुत्र कर्मचन्द प्रतिवादी स्वयं उपस्थित

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.05.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम चक 17 एम.एल. के खाता संख्या 106/78 के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4/1 का .214, 5/1 का .150 कुल 0.364 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, मकान बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्ष्म अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित कुल 0.364 हैक्टर रकबा में से किला नम्बर 4/1 में 762 वर्गमीटर किला नम्बर 5/1 में 1257 वर्गमीटर रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 11 एन.एन.पी. अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 2

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी स्वयं आज दिनांक 08.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 11 एल.एल.पी. में मजमे आम उपस्थित होकर वाद पत्र पर कोई एतराज न जताते हुए स्वीकार किया।

वाद पत्र में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई जाकर राज पैराकार उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय बहस सुनी गई दौराने बहस प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में किसी प्रकार को कोई एतराज नहीं होने पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 17 एम.एल. के खाता संख्या 106/78 के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4/1 में 762 वर्गमीटर किला नम्बर 5/1 में 1257 वर्गमीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 08.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 11 एल.एल.पी. में मजमे आम सुनाया गया

(यशपाल आहूजा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।